प्रेस विज्ञप्ति

09.06.2026

ईडी ने142 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित आय से संबंधित सीमा-पार मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में तलाशी अभियान चलाया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आइजोल उप-आंचलिक कार्यालय ने एक प्रमुख सीमा-पार मादक पदार्थ तस्करी मामले से संबंधित चल रही धन शोधन जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत दिनांक 08.06.2026 को त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा मिजोरम में स्थित चार स्थानों पर तलाशी अभियान संचालित किया।

ईडी ने मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), अगरतला आंचलिक इकाई द्वारा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम), 1985 के अंतर्गत मामला संख्या 07/2025 में दर्ज मूल अपराध के आधार पर जांच प्रारंभ की। एनसीबी का यह मामला दिनांक 21.08.2025 को मिजोरम में राष्ट्रीय राजमार्ग-06ए पर एक वाहन काफिले को रोककर की गई कार्रवाई से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप 49.101 किलोग्राम मेथामफेटामाइन टैबलेट तथा 40 ग्राम हेरोइन बरामद की गई और आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 21, 22 तथा 29 के अंतर्गत अपराध, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अनुसूचित अपराध हैं।

ईडी द्वारा की गई जांच से एक संगठित अंतर्राज्यीय एवं सीमा-पार सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, जो म्यांमार स्थित आपूर्तिकर्ताओं से मेथामफेटामाइन प्राप्त करता था, मिजोरम के चम्फाई/जोखावथार क्षेत्र के माध्यम से उक्त प्रतिबंधित मादक पदार्थ की भारत में तस्करी करता था तथा उसे त्रिपुरा स्थित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचाता था। इस प्रकार अर्जित अपराध की आय को सीमा क्षेत्र के पतों का उपयोग करने वाले म्यांमार निवासी व्यक्तियों के बैंक खातों, शेल/माध्यमिक संस्थाओं के नेटवर्क तथा नकद एवं हवाला माध्यमों के जरिए विभिन्न स्तरों पर परतबद्ध एवं समेकित किया गया, ताकि धन के स्रोत तथा उसके अंतिम लाभार्थियों की पहचान छिपाई जा सके। अब तक 142 करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध जमा राशियों की पहचान की जा चुकी है। प्रतिबंधित मादक पदार्थ का प्रमुख म्यांमार-स्थित आपूर्तिकर्ता चिन्तुआंग उर्फ तलुआंगा तथा परिवहन व्यवस्था का एक प्रमुख सुगमकर्ता जबरुल हक को एनसीबी द्वारा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

दिनांक 08.06.2026 को की गई तलाशी कार्रवाई में सिंडिकेट से जुड़े चार प्रमुख व्यक्तियों एवं संस्थाओं के आवासीय तथा कार्यालय परिसरों को शामिल किया गया, जिनमें अनोवार हुसैन उर्फ सुमन मिया उर्फ करोड़पति सुमन तथा जाशिम मिया (दोनों निवासी सोनामुरा, सिपाहीजला, त्रिपुरा) शामिल हैं, जिन्हें जब्त खेप के अंतिम प्राप्तकर्ताओं के रूप में चिन्हित किया गया है; श्रीमती हमिंगथानसांगी (जोखावथार,

मिजोरम), जिनके बैंक खाते में 33 करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध जमा राशियों का पता चला है; तथा मैसर्स रिजु एंटरप्राइजेज (उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल) की मालकिन श्रीमती चैताली दास, जिनकी स्वामित्वाधीन फर्म के अपराध के आय के हस्तांतरण हेतु उपयोग किए जाने की आशंका है। तलाशी के दौरान सुमन मिया एवं जाशिम मिया के आवासों के आसपास स्थित वन क्षेत्रों में, भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगी कंटीली तारबंदी के साथ-साथ वृक्षों पर स्थापित 25 से अधिक सीसीटीवी कैमरे पाए गए, जो उक्त क्षेत्रों की निगरानी कर रहे थे। तलाशी कार्रवाई के दौरान प्रतिबंधित सामग्री की खोज के लिए श्वान दस्ते (Dog Squad) की भी सहायता ली गई। जहाँ सुमन मिया एवं जाशिम मिया के आवास भारत-बांग्लादेश सीमा के ठीक निकट स्थित थे, वहीं जोखावथार स्थित परिसर म्यांमार सीमा से 500 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित था। तलाशी कार्रवाई के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) तथा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का सहयोग भी प्राप्त किया गया। तलाशी के दौरान जांच से संबंधित अपराध संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण तथा अन्य साक्ष्य सामग्री बरामद कर जब्त की गई।

इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।







